



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता-700001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.in

फोन नं +913322371161

संदर्भ सं6(29)/एलसी/2014/जोरहाट/Part-1 / 777

दिनांक 02/07/2023

शुद्धिपत्र

विषय: संशोधित जोरहाट नीलामी नियम

संशोधित जोरहाट नीलामी नियमों के संबंध में कार्यालय अधिसूचना क्रमांक 6(29)/एलसी/2014/जोरहाट/भाग-1/584 दिनांक 20 जुलाई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करें एवं इसके अलावा, कार्यालय द्वारा एक शुद्धिपत्र क्रमांक 6(29)/एलसी/2014/जोरहाट/ भाग-1/613, नांक 4 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था। जोरहाट नीलामी नियम संख्या 26 (ए) के अनुसार "नीलामी प्रत्येक सोमवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच और बीच में एक घंटे के लंच ब्रेक के साथ आयोजित की जाएगी। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा के कारण नीलामी मंगलवार तक चल सकती है। नीलामी के दिन सार्वजनिक अवकाश के स्थिति में, हितधारकों को वैकल्पिक तिथि पर पर्याप्त पूर्व सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा।"

इस संबंध में, धारा क्र. '26 (ए)' संशोधित जोरहाट नीलामी नियम, को कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए:

क. नीलामी सोमवार या शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच और एक घंटे के लंच ब्रेक के साथ आयोजित की जाएगी। नीलामी आयोजक द्वारा विक्रय कार्यक्रम प्रकाशित करके हितधारकों को अग्रिम सूचना प्रदान की जाएगी।

अत्यधिक मात्रा के कारण ऐसे उदाहरण हो सकते हैं; नीलामी अगले दिन यानि मंगलवार या शनिवार तक चल सकती है। नीलामी के दिन सार्वजनिक अवकाश की स्थिति में, हितधारकों को वैकल्पिक तिथि पर पर्याप्त पूर्व सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

पहले के जोरहाट नीलामी नियमों के अन्य खंड अपरिवर्तित रहेंगे।

रजनीगंधा सील नस्कर

(रजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

1. अखिल भारत चाय उत्पादक संघ
2. सभी चाय क्रेता संघ
3. सभी चाय भांडागार संघ
4. कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर
5. कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी
6. उपनिदेशक चाय विकास, सिलिगुड़ी
7. सहायक निदेशक चाय विकास, जलपाईगुड़ी
8. प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपूर